न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

वादपत्र संख्या :–

115 / 2016

पीठासीन अधिकारी –

हरबिन्दर डिल्लन सिंह (RAS)

1. राजेन्द्र शर्मा आ0 बृजमोहन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी करवाला की झोंपडिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
2. श्रीमति सुनिता पत्नि राजेन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी रेतवाली, कोटा शहर कोटा राज0

– – वादीगण

बनाम

1. छोटा
2. बसन्ता

} पिसरान देवा जाति गुर्जर निवासी ग्राम मेनोली कागंसा का झोपडा तह0 के0 पाटन जिला बून्दी राज0

– – प्रतिवादी

वाद वास्ते बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188,183 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :–

1. वादीगण की और से श्री केशव दाधीच, एडवोकेट
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

–:: निर्णय ::– दिनांक 26.02.2021

1. वादीगण ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188,183 आर.टी.एक्ट का दिनांक 10.08.2016 को पेश किया किया।
2. वाद पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मेनोली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में वादीगण के खाते की भूमि खाता संख्या 34 में खसरा संख्या 438 रकबा 0.84 है0, खसरा संख्या 449 रकबा 0.88 है0, खसरा संख्या 452 रकबा 1.30 है0, खसरा संख्या 453 रकबा 1.05 है0, ख.सं. 454 रकबा 0.35 है0, ख.सं. 455 रकबा 1.50 है0, ख.सं. 885 रकबा 0.78 है0, खसरा सं. 934 रकबा 0.83 है0, ख.सं.

946 रकबा 0.55 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 8.08 है0 विस्थित है। जिसमें खातेदार वादीगण है। उक्त वर्णित भूमि में से ख.सं. 934 रकबा 0.83 है0 व ख.सं. 946 रकबा 0.55 है0 भूमि वादीगण की अन्य भूमि से थोडी दूरी पर स्थित है। इस कारण वादीगण वादपत्र की चरण क्रम 2 में वर्णित भूमि को वक्त खरीद सन् 2006 से ही प्रतिवादीगण को ज्वारे काश्त पर सहमति से देते आये है किन्तु दि0 20.04.2015 में अतिवृष्टि से उक्त भूमि की फसल खराब हो गई और प्रतिवादीगण ने वादीगण को जुवारे की राशि अदा करने में असमर्थता जताई और वादीगण ने सदाशय से प्रतिवादीगण को ज्वारे की शेष राशि चुकता करने हेतु समय देकर पुनः प्रतिवादीगण को उक्त भूमि ज्वारे पर दे दी। वर्ष 2015 के माह नवम्बर में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से शेष राशि अदा करने को कहां तो प्रतिवादीगण ने सन् 2016 की गेंहू की फसल का समय मांगा जो भी वादीगण द्वारा दिया गया। अप्रेल 2016 के अन्त में वादीगण ने अपना बकाया जुवारा राशि का भुगतान करने के लिये प्रतिवादीगण से कहां तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि अब हम इस जमीन को नही छोडेगे तथा हमेशा के लिये इस पर कब्जा करके रहेंगे साथ ही प्रतिवादीगण ने धमकी भी दी है कि अगर वादीगण वादग्रस्त भूमि पर आये तो उन्हे जान से मार देंगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया जो गैरकानूनी है। वादीगण के लिये आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद दायर कर वादग्रस्त भूमि ख.सं. 934 व 946 पर से प्रतिवादीगण को बेदखल करावे व कब्जा वादीगण को दिलाया जावे।

3. वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. वादी वकील ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 राजेन्द्र शर्मा, पीडब्ल्यू 2 सुनिता के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 ग्राम मेनोली प्रदर्श–1 व राजस्व नक्शा ग्राम मेनोली ख.सं. 934, 946 प्रदर्शित करवाये।

5. वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वादपत्र निर्णय व डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बहस सुनने के उपरांत पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का आधोपान्त अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 में वादीगण खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादीगण वादग्रस्त भूमि में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 अनुसार खातेदार काश्तकार है अतः प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी की भूमि पर अवैध/नाजायज कब्जा करने का कोई हक, अधिकार नही है। प्रतिवादीगण का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 44 में यथापरिभाषित कृत्य है। आर0 आर0 डी0 1960 माधो बनाम कल्याण में स्पष्ट किया हुआ है कि जो व्यक्ति बिना अनुमति के भूमि पर काबिज रहता है वह अतिक्रमी है। प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजात से यह प्रमाणित होता है कि विवादित आराजी पर प्रतिवादी अतिक्रमी है। सामान्यतः अतिक्रमी किसी अनुतोष का अधिकारी नही हो सकता। अतिक्रमी मात्र बेदखली का ही पात्र होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–:: निर्णय ::–

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नं. 934 रकबा 0.83 है0 व खसरा सं. 946 रकबा 0.55 है0 वाके ग्राम मेनोली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 का कब्जा छोड देवे तथा प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि से कब्जा नही छोडते है तो तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि मौके से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को कब्जा सम्भलाया जाये। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

26.2.21

(हरबिन्दर डिल्लन सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत इजलास–
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0 पाटन

हरबिन्दर डिल्लन सिंह
आर.ए.एस.

राजेन्द्र शर्मा **V/S** छोटा वगै0

वाद– 188, 183 आर0टी0ए0
मुकदमा नम्बर :: 115/2016

वादी की ओर से श्री केशव दाधीच, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री ..... की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 26.02.2021 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिकी किया जाता है कि–

"वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नं. 934 रकबा 0.83 है0 व खसरा सं. 946 रकबा 0.55 है0 वाके ग्राम मेनोली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 का कब्जा छोड देवे तथा प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि से कब्जा नही छोडता है तो तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि मौके से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को कब्जा सम्भलाया जाये।"

नीज .....ग..... मुबलिक .....ग..... बाबत .....ग..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व षरह .....ग..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल वादी तक .....ग..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 26.02.2021 को जारी की गई।

मोहर

(हरबिन्दर डिल्लन सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन